

सं. ई-11012/1/2021-हिन्दी / 172

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
केन्द्रीय जल आयोग

901(द), सेवा भवन, आर के पुरम,  
नई दिल्ली - 110066  
दिनांक 06 अप्रैल, 2023

**विषय: केन्द्रीय जल आयोग (मु.) में दिनांक 31 मार्च, 2023 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति में अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में।**

केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में दिनांक 31 मार्च, 2023 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के सभी अनुभागों/निदेशालयों/स्कंधों में राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने इस संबंध में निर्देश दिया कि केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के सभी अनुभागों/निदेशालयों/स्कंधों तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालय तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा आगामी 15 दिनों के अंदर राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने/लक्ष्य से अधिक कार्य करने का गहन प्रयास किया जाए। 15 दिन के पश्चात्, अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों को दिनांक 31 मार्च, 2023 तथा मुख्यालय को दिनांक 03 अप्रैल, 2023 के पत्रों द्वारा सूचित किया जा चुका है।

तदनुसार, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध है कि कृपया 01 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अपने कार्यालय में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति को संलग्न प्रपत्र में भरकर भिजवाया जाए। मुख्यालय के समन्वय निदेशालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध है कि वे रिपोर्ट के साथ समेकित डाटा शीट भी संलग्न कर भिजवाएं। 15 दिन के पश्चात्, अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक आयोजित कर प्राप्त आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को भी ऑनलाइन माध्यम से इस बैठक में जोड़ा जाएगा।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाए।

संलग्नक: यथोपरि

  
(रजिन्दर पाल)

उप निदेशक (रा.भा.)

केन्द्रीय जल आयोग के सभी अनुभाग/निदेशालय/स्कंध  
सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग

**केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के अनुभागों/निदेशालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित प्रगति रिपोर्ट**

**01 अप्रैल 2023 से 15 अप्रैल 2023 तक**

कार्यालय का नाम और पूरा पता : .....

**1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात**

- (क) जारी कागजात की कुल संख्या : \_\_\_\_\_
- (ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या : \_\_\_\_\_
- (ग) केवल हिन्दी में जारी किये गये कागजात : \_\_\_\_\_
- (घ) केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात : \_\_\_\_\_

**2. हिंदी में प्राप्त पत्र [राजभाषा नियम - 5 (लक्ष्य 100%)]**

[राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए।]

- (क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या : \_\_\_\_\_
- (ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए : \_\_\_\_\_
- (ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेज़ी में दिए गए : \_\_\_\_\_
- (घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे : \_\_\_\_\_

**3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)**

क्षेत्र	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या =3+4+5	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेज़ी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे	हिन्दी में उत्तरित पत्रों का प्रतिशत =3x100/(2-5)
1	2	3	4	5	6
'क' क्षेत्र से					
'ख' क्षेत्र से					

**4. भेजे गये मूल पत्रों का ब्योरा :-**

क्षेत्र	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या =2+3	हिन्दी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत =2x100/4	पिछले तिमाही का प्रतिशत	प्रगति प्रतिशत में =5-6	
						वृद्धि	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8
'क' क्षेत्र को							
'ख' क्षेत्र को							
'ग' क्षेत्र को							

**5. फाइलों/दस्तावेजों पर तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियां**

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या	अंग्रेज़ी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या	कुल टिप्पणियों की संख्या =1+2	हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों का प्रतिशत =1x100/3	पिछले तिमाही का प्रतिशत	प्रगति प्रतिशत में =4-5	
					वृद्धि	कमी
1	2	3	4	5	6	7

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

पदनाम : \_\_\_\_\_

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर : \_\_\_\_\_

